न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट पावटा (कोटपूतली–बहरोड़)

पीठासीन अधिकारी :– डॉ. साधना शर्मा (RAS)

प्रार्थना पत्र संख्या :– 07/2025 दायर दि. 30.05.2025

उनवान

बलबीर सिंह पुत्र हरनाथ सिंह जाति राजपूत निवासी टसकोला तहसील पावटा जिला कोटपूतली–बहरोड, राजस्थान। **प्रार्थी**

बनाम

तहसीलदार पावटा, तहसील पावटा, जिला कोटपूतली–बहरोड़ (राज.)

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढ़ी अन्तर्गत धारा 128 एलआरएक्ट

निर्णय दिनांक: 17.04.2026

1. प्रार्थी के ओर से जरिये अधिवक्ता श्री अशोक सिंह गुर्जर के द्वारा प्रार्थना पत्र पत्थरगढ़ी निम्नानुसार पेश है कि आराजी खसरा 1192/229/0.1013 हैक्ट0 भूमि वाके मौजा टसकोला तहसील पावटा जिला कोटपूतली–बहरोड़ राजस्थान में स्थित है। उक्त आराजी खसरा नम्बर 1192/229/0.1013 हैक्ट0 भूमि वाके मौजा टसकोला तहसील पावटा के सम्पूर्ण हिस्से के प्रार्थी मुताबिक जमाबन्दी रिकार्डेड खातेदार काश्तकार काबिज है। जमाबन्दी संलग्न प्रार्थना–पत्र है।

2. प्रार्थी की उक्त आराजी खसरा नम्बर 1192/229/0.1013 हैक्ट0 भूमि वाके मौजा टसकोला तहसील पावटा जिला कोटपूतली–बहरोड़ राजस्थान से लगती अन्य भूमि के खातेदार काश्तकार आये दिन ताकत के बल पर प्रार्थी की उक्त आराजी भूमि की डोल वगैरह तोड़ देते है, फसल नष्ट कर देते है तथा प्रार्थी की आराजी को अपनी आराजी में मिलाने पर उतारु है। प्रार्थी द्वारा समझाने पर नही मान रहे है, मरनें–मारनें पर आमादा है। इसलिए प्रार्थी की उक्त आराजी खसरा नम्बर 1192/229/0.1013 हैक्ट0 भूमि वाके मौजा टसकोला तहसील पावटा जिला कोटपूतली–बहरोड राजस्थान की पत्थरगढ़ी करवाया जाना न्यायसंगत है।

3. प्रार्थी नें पूर्व में अपनी उक्त आराजी का सीमाज्ञान दिनांक 26.05.2025 को करवाया जा चुका है। प्रार्थीया ने अपनी उक्त आराजी भूमि की पत्थरगढ़ी करने हेतु अप्रार्थी तहसीलदार पावटा को कहा तो तहसीलदार पावटा ने सक्षम न्यायलय में प्रार्थना–पत्र पेश करने हेतु कहा। इसलिए प्रार्थना–पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है। प्रार्थना –पत्र अन्दर मियाद निर्धारित न्यायशुल्क पर पेश है। आराजीयात विवादास्पद माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में स्थित होने से माननीय न्यायालय को प्रार्थना–पत्र सुनने व तैय करने का अधिकार है।

उपखण्ड अधिकारी
पावटा (कोटपूतली–बहरोड़)

4. अतः प्रार्थना–पत्र गय शपथ पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी की आराजी खसरा नम्बर 1192/229/0.1013 हैक्ट0 भूमि वाके मौजा टसकोला तहसील पावटा जिला कोटपूतली–बहरोड राजस्थान की पत्थरगढ़ी किये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

5. प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पेश होने पर रिपोर्ट सरिस्ता ली जाकर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया तथा अप्रार्थी को जरिये नोटिस सूचित किया गया। पैरोकार से जवाब लिया गया जो शामिल पत्रावली किया गया। वकील प्रार्थी ने प्रा0पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए प्रकरण को दि. 26.05.2025 के अनुसार हुए सीमाज्ञान मुताबिक पत्थरगढी के आदेश पारित करने बाबत निवेदन किया। हमने वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। प्रकरण में पाया गया कि प्रश्नगत आराजी का दिनांक 26.05.2025 को सीमाज्ञान किया गया है तथा प्रार्थी अपने सुखाधिकार एवं भूमि की रक्षा व सींव डोल की सुरक्षा हेतु पत्थरगढ़ी करवाना चाहता है।

6. अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार पावटा को आदेश दिये जाते हैं कि आराजी खसरा 1192/229/0.1013 हैक्ट0 भूमि वाके मौजा टसकोला तहसील पावटा जिला कोटपूतली–बहरोड, राजस्थान का दिनांक 26.05.2025 को हुये सीमाज्ञान के मुताबिक यदि किसी न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं हो तो नियमानुसार फीस जमा करवाकर पत्थरगढ़ी करवावे। एवं पत्थरगढी के आदेश के माध्यम से किसी भी प्रकार की बेदखली की कार्यवाही नही की जावे। तदानुसार आदेश जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 17.04.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरै इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(डॉ. साधना शर्मा, RAS)
उप खण्ड अधिकारी
पावटा(कोटपूतली–बहरोड़)